बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 132636 पटना, दिनांक 14/12/12

R.11019/147/2011-Sec07(6)

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

ई-मेल

उप विकास आयुक्त,
जमुई, नालन्दा, भागलपुर एवं मधेपुरा ।

विषय :- **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण हाट के स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में जमुई, नालन्दा, भागलपुर एवं मधेपुरा जिलों को केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त की गयी द्वितीय किस्त की राशि ` 67.5 लाख (सरसठ लाख पांच हजार) के विरूद्ध देय राज्यांश ` 22.50 (बाईस लाख पचास हजार) का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-132424 दिनांक-13.12.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण हाट के स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में जमुई, नालन्दा, भागलपुर एवं मधेपुरा जिलों को केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त की गयी द्वितीय किस्त की राशि ` 67.5 लाख (सरसठ लाख पांच हजार) के विरूद्ध देय राज्यांश की राशि के रूप में कॉलम-5 में अंकित कुल ` 22.50 (बाईस लाख पचास हजार) की राशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

(रूपये लाख में)

क्रम	**जिला का नाम**	**केन्द्रांश द्वितीय किस्त विमुक्ति संबंधी भारत सरकार के आदेश सं0 एवं तिथि**	**वित्तीय वर्ष 2012-13 में विमुक्त केन्द्रांश द्वितीय किस्त की राशि**	**देय अनुपातिक राज्यांश का वर्ष 2012-13 में आवंटित राशि**
1	2	3	4	5
1.	जमुई	K-11038/03/2009-Mkt Cell(18) dated-July-12	**16.875**	**5.625**
2.	नालन्दा	K-11038/03/2009-Mkt Cell(18) dated-25.06.12	**16.875**	**5.625**
3.	भागलपुर	K-11038/03/2009-Mkt Cell(18) dated-28.05.12	**16.875**	**5.625**
4.	मधेपुरा	K-11038/03/2009-Mkt Cell(18) dated-28.05.12	**16.875**	**5.625**
		कुल :-	**67.5**	**22.5**

2. राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-132424 दिनांक- 13.12.2012द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।

3. आवंटित राशि मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अंतर्गत उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विपत्र कोड-पी-2501061010101, विषय शीर्ष-50 03-राज्यांश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलनीय है।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी ।

5. यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561वि.(2) दि0-17.04.98 एवं पत्रांक-159वि. दि0-20.03.09 की कंडिका-2 में निहित निदेशों एवं शर्त्तों का अनुपालन कर निर्गत किया जा रहा है ।

6. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि0(2) दि.-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान को विभागीय पत्रांक-3873 दिनांक-12.04.06 द्वारा प्रभावहीन किये जाने के फलस्वरूप आवंटित राशि की एक

मुश्त अग्रिम निकासी कर व्यय करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है । राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-8593 दिनांक-17.11.07 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार की जायेगी ।

7. संबंधित उप विकास आयुक्तों से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अधीन राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक आने वाले माह की 5वीं तारीख तक विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध करावें एवं ए.सी. बिल से निकासी की गई राशि के विरूद्ध डी.सी. बिल कोषागार एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

14.11.11

(अजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव